न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः नरेश कुमार मालव, आर0ए0एस0)

अपील संख्या 42/2019 (अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम)

खुशीराम पुत्र श्री अजीराम जाति ब्राहमण निवासी सिरस तहसील वैर जिला भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार वैर

.....रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 04.04.19 नायब तहसीलदार वैर मि0सं0 22/2019 सरकार बनाम खुशीराम (91 एलआर एक्ट)

उपस्थित :

1. श्री अर्जुन सिंह वकील अपीलान्ट।
2. पेरोकार सरकार।

निर्णय

दिनांक – 12.12.2019

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत नायब तहसीलदार वैर की आज्ञा दिनांक 04.04.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा खिलाफ कानून बेरूयेदाद मिसिल है व काबिल निरस्तनीय है। अपीलान्ट को जबाब पेश करने के बाद सबूत पेश करने का मौका ना देकर फैसला जैर अपील देने में कानूनी भूल की है। तहत न्यायालय ने फैसला पारित करने पहले पत्रावली का अवलोकन नहीं किया बल्कि नायव तहसीलदार वैर ने प्रिन्टेट फैसले रख रखे है उनमें नाम पते व तारीख डालकर फैसला करने में कानूनी भूल की है तथा फैसला आर्डर 20 जा0दी0 के तहत फैसले की तारीफ में नहीं आता है। दिनांक 15.03.2019 को अदालत तहत की आदेशिका के अनुसार पत्रावली दिनांक 04.04.2019 लिये रखी थी लेकिन पत्रावली में दिनांक 04.04.2019 को तहसील

वैर में ही फैसला सुना दिया जिसकी अपीलान्ट को कतई जानकारी नहीं थी। दिनांक 16.05.2019 को हल्का पटवारी के बताने पर फैसला जैर अपील की जानकारी हुई तब अपीलान्ट ने नकल दरख्वास्त पेश कर नकल प्राप्त होने के तुरंत बाद अपील अन्दर म्याद पेश की गई। विवादित स्थल पर अपीलान्ट का सैकडों वर्ष से पुराना कब्जा है तथा जमीन गांव की आबादी से घिरी हुई है। विवादित रकवा कृषि के उपयोग का नहीं है इसलिये धारा 91 एल.आर.एक्ट की कारना न्यायोचित नहीं है। विवादित भूमि अपीलान्ट के पूर्वजो की मिलकियती की है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश नायव तहसीलदार वैर दिनांक 04.04.2019 को निरस्त फरमाने जाने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रिन्टेड फैसले रख रखे है उनके नाम पते व तारीख डालकर फैसला किया है जो फैसले की तारीफ में नहीं आता है। तहत न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 15.03.2019 के अनुसार यह पत्रावली दिनांक 04.04.2019 को मौके के लिये रखी गई थी। तहत न्यायालय द्वारा तहसील वैर में ही फैसला सुना दिया। अपीलान्ट का विवादित भूमि पर सैकडो वर्ष पुराना कब्जा है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.04.2019 आधारहीन होने के कारण खारिज फरमाये जाने एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत नायव तहसीलदार वैर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.04.2019 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अपीलान्ट द्वारा आराजी खसरा नम्बर 825/2032 रकवा 0.02 में से 100 वर्गमीटर पर चारदीवारी बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के खिलाफ उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व आधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत की गई है जिसका तहत अदालत को वखूबी अधिकार प्राप्त है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के खिलाफ तहत अदालत द्वारा की गई कार्यवाही न्यायसंगत है। विवादित भूमि गैरमुमकिन चाह है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्जित है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट किसी भी सहानुभूति का पात्र नहीं है। इसलिए तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश बखूबी न्याय संगत है। अन्त में पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्ट आधारहीन होने के कारण खारिज फरमाये जाने

एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.04.2019 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर 825/2032 सिवायचक विला लगानी गैर मुमकिन चाह राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अपीलान्ट का उक्त आराजी खसरा नम्बर पर अतिक्रमण पटवारी हल्का की रिपोर्ट से सिद्ध है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कार्यवाही की गई है। नायव तहसीलदार वैर के निर्णय दिनांक 04.04.2019 में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। तहत पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ तहसीलदार बयाना को लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.12.2019 को सुनाया गया।

(नरेश कुमार मालव)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भरतपुर